

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर

पत्रांक:-  
सेवा में,

342 / 151

दिनांक:- 2-3-22

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम  
हमीरपुर।

विषय:-

सुमेरपुर जसपुरा पैलानी (SH-134) के चैनेज 76.310 ग्राम पंधरी में पत्योरा डोंडा ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1. आपका पत्रांक- 209/W-26/209 Date 03-08-2021
2. इस कार्यालय का पत्रांक- 2108/सी-1 दिनांक- 22.12.2021
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) महोबा का पत्रांक- 1193/डब्लू०-37/29 दिनांक- 27.12.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सुमेरपुर बोंदा राज्य मार्ग (एस० एच-134) के ग्राम पंधरी में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है, एवं संदर्भित पत्र क्रमांक- 02 द्वारा रु० 79090 की बी०जी० कार्यालय को जमा की गई थी।

उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ शर्त अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 1.50 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये तथा कार्य से होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति की भरपाई तथा पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित सरेखण में ही कार्य किया जयोगा।

**Er. A.K. Awasthi**  
Assistant Engineer  
Construction Division (Civil)  
U.P./Jal Nigam, Mahoba

अधिशाषी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
हमीरपुर।

दिनांक:-

पत्रांक:-

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी (नमामी गंगे) हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री गौरव त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री राजेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर को सूचनार्थ।

अधिशाषी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
हमीरपुर।

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर

पत्रांक:-  
सेवा में,

341

121

दिनांक: 02-03-22

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम  
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर राठ मार्ग (SH-42) के चैनैज 16.94 ग्राम कलौलीजार ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत (नमामि गंगे) टंचलेस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-  
1. आपका पत्रांक- 110/W-37/18 Date 17-02-2022  
2. इस कार्यालय का पत्रांक- 222/ए-1 दिनांक- 04.02.2022  
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर नगर के पत्र सं०-98/ए-4 दिनांक-31.01.2022

महोदय,  
उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर राठ मार्ग (एस० एच-42) के ग्राम कलौलीजार में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है, एवं संदर्भित पत्र क्रमांक- 01 द्वारा रु० 191160.00 की बी०जी० कार्यालय को जमा की गई थी।

उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 1.50 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये तथा कार्य से होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति की भरपाई तथा पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में ही कार्य किया जयोगा।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
हमीरपुर।

दिनांक:-

पत्रांक:-  
प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी (नमामी गंगे) हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री गौरव त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री राजेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर को सूचनार्थ।

Er. A.K. Awasthi  
Assistant Engineer  
Construction Division (Civil)  
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
हमीरपुर।